समाहरणालय, बेगूसराय

(खनन् शाखा)

प्रेस विज्ञप्ति

लधु खनिज व्यापार हेतु खुदरा अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि लघु खनिजों का थोक व्यापार बिहार राज्य खनन् निगम द्वारा किया जाएगा तथा खुदरा व्यापार हेतु प्रत्येक जिलें में पर्याप्त संख्या में खुदरा अनुज्ञप्तियॉ समाहर्त्ता द्वारा प्रदान की जाएगी। नवगठित नयी बिहार लघु खनिज नियमावली–2017 की धारा–45 के तहत खुदरा अनुज्ञप्ति देने की शक्ति समाहर्त्ता को प्रदत है।

उक्त के आलोक में सभी इच्छुक व्यक्तियों/फर्मो से लघु खनिज के व्यापार के खुदरा अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है:–

क0 सं0	अंचल का नाम	खुदरा अनुज्ञप्ति हेतु निर्धारित संख्या	क0 सं0	अंचल का नाम	खुदरा अनुज्ञप्ति हेतु निर्धारित संख्या
1.	बेगूसराय	05	10.	चेरिया बरियारपुर	02
2.	मटिहानी	03	11.	खोदाबन्दपुर	02
3.	बरौनी	03	12.	छौड़ाही	02
4.	बीरपुर	02	13.	नावकोठी	02
5.	शाम्हों	02	14.	गढ़पुरा	02
6.	तेघड़ा	03	15.	बखरी	03
7.	बछवाड़ा	02	16.	बलिया	03
8.	भगवानपुर	02	17.	साहेबपुर कमाल	02
9.	मंसुरचक	02	18.	डंडारी	02

संबंधित अंचल क्षेत्र के लिए निर्धारित संख्या सं ज्यादा आवेदन आने पर लॉटरी से अनुज्ञप्ति प्रदान किया जायेगा।

1.अनुज्ञप्ति देने के लिए निम्न अहर्ता होगी:–

(I) अनुज्ञप्तिधारी को, जिस क्षेत्र में वह अनुज्ञप्ति चाहता है, उस क्षेत्र में एक कार्यालय होना तथा कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं कर्मियों की सुविधा होना अनिवार्य है।

(II) अनुज्ञप्तिधारी के पास कम–से–कम–05 वाहनों को खड़ा करने की भूमि होनी चाहिए। लघु खनिज से लदे ट्रक किसी भी हालत में सरकारी सड़क अथवा सार्वजनिक स्थान पर नहीं रखे जाने चाहिए। यदि अनुज्ञप्तिधारी के पास स्वयं की भूमि नहीं है तो वह किराये पर यह व्यवस्था कर सकते है।

(III) अनुज्ञप्तिधारी को Pan card holder तथा Aadhar card होना अनिवार्य है।

(IV) अनुज्ञप्तिधारी को police verification report भी देना अनिवार्य होगा।

2.अनुज्ञप्तिधारी हेतु अन्य शर्ते:–

(I) सभी खुदरा अनुज्ञप्ति 03(तीन) वर्षो के लिए दी जायेगी।

(II) अनुज्ञप्ति शुल्क प्रतिवर्ष रूपये–10000/–(दस हजार) के दर से कुल–30000/–(तीस हजार) रूपये प्रारंभ में ही ले लिये जायेगें।

(III) उन्हें अनुज्ञप्ति अवधि, यानि तीन वर्ष की अवधि के लिए रूपये–100000/–(एक लाख) रूपये की बैंक गाारंटी देनी होगी।

(IV) खुदरा अनुज्ञप्ति मिलने पर GST registration अनिवार्य होगा।

(V) अनुज्ञप्तिधारी को सभी व्यापार E-challan के माध्यम से करना होगा।

(VI) नियम 53 के तहत, अनुज्ञप्तिधारी के पास, यदि अपना ट्रक है, तो उनमें Digital lock तथा GPS लगाना अनिवार्य होगा।

(VII) अनुज्ञप्तिधारी ऐसे किसी वाहनधारी अथवा ट्रैक्टरधारी के साथ व्यापार नहीं करेंगे जिन्होने Digital lock तथा GPS नहीं लगवाया है किन्तु बैल गाड़ी पर यह शर्त लागू नही होगी।

(VIII) अनुज्ञप्तिधारी अपने सभी return ससमय जिला खनन कार्यालय तथा विभाग के समक्ष दायर करेंगे।

<u>3. खुदरा अनुज्ञप्तिधारी को देय कमीशनः–</u>सभी खुदरा अनुज्ञप्तिधारी को बिहार राज्य खनन् निगम द्वारा लधु खनिज की बिक्री का कुल मुल्य (Ex-Go Down of BSMC) पर कमीशन देय होगा। कमीशन खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा तय किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त परिवहन खर्च भी प्रति किलोमीटर की दर से देय होगा।

<u>4.खुदरा अनुज्ञप्तिधारी को परिवहन खर्चः</u>–खुदरा अनुज्ञप्तिधारी को देय परिवहन खर्च खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा तय किया जायेगा तथा बैल गाड़ी का दर समाहर्त्ता द्वारा तय किया जायेगा।

<u>5. इच्छुक आवेदक निम्न प्रपत्र में आवेदन दे सकते हैः–</u>

PHOTO

1. आवेदन का नामः–
2. आवेदक का ईं–मेल तथा मोबाईल न0ः–
3. आवेदक का स्थायी पताः–
4. आवेदक का व्यापारिक पता (जहॉ वह लघु खनिज का व्यापार करना चाहते हो)ः–
5. आवेदक के पास उपलब्ध कार्यालय एवं कम्प्यूटर की सुविधा संबंधी विवरणी बतायें कि कार्यालय कितना बड़ा हैं एवं कम्प्यूटर तथा अन्य कर्मी इत्यादि कितने हैंः–
6. आवेदक के पास स्वयं के कितने वाहन हैः–
7. आवेदक के पास वाहन खड़े पार्किंग हेतु कितनी भूमि उपलब्ध है। आवेदक के पास स्वयं की भूमि न हो तो वह उचित किराये पर भी इसकी व्यवस्था कर सकते है। कृपया उक्त भूमि का रकवा एवं पता स्पष्ट अंकित किया जाए ।
8. **संलग्न कागजातः–** आवेदन निम्नालिखित कागजात संलग्न करेंः–

(I) Pan card की प्रति।

(II) Aadhar card की प्रति।

(III) यदि आवेदक फर्म है तो उसके निबंधन प्रमाण–पत्र की प्रति।

(IV) चरित्र प्रमाण पत्र–police verification report की प्रति।

(V) निम्न प्रकार एक का शपथ–पत्रः–

मैं......................................(आवेदक का नाम) घोषणा करता हूॅ कि खुदरा अनुज्ञप्तिधारी के तौर पर समाहर्त्ता के समक्ष दी गयी सभी सूचनाएॅ सही है। मैं यह भी घोषणा करता हूॅ कि मेरे उपर खान एवं भूतत्व विभाग या किसी अन्य विभाग की कोई सरकारी राशि देय नहीं है। और न ही मुझे सरकार द्वारा कभी black list किया गया हैं। मैं यह भी घोषणा करता हूॅ कि बिहार लघु खनिज नियमावली–2017 के तहत दी गई शर्ते तथा विज्ञापन में दी गयी सभी शर्तो का पालन करूॅगा। मैं लघु खनिज के परिवहन में उन्ही वाहनधारियों से व्यवसाय करूॅगा, जिनपर Digital lock तथा GPS लगाा होगा। मैं ऐसे किसी वाहन के माध्यम से न खनिज खरीदूॅगा और न बेचूॅगा जिसपर GPS एवं digital lock नही लगा होगा। मै बिहार लघु खनिज नियमावली–2017 के सभी प्रावधानों,खान एवं भूतत्व

विभाग, बिहार, पटना तथा समाहर्त्ता, बेगूसराय के द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले सभी निदेशो का पालन करूँगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

9. उपरोक्त आवेदन–25.11.2017 के संध्या–05:00 बजे तक निम्न पते पर स्वीकार किये जायेंगेः–

पताः–खनिज विकास पदाधिकारी,
जिला खनन् कार्यालय,
पावर हाउस रोड,
गाछी टोला, बेगूसराय–851101.

समाहर्त्ता,
बेगूसराय।